न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 08/2021
GCMS NO. : 2021/22

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. सुगनाराम पुत्र नारायणराम 2. किरण पत्नी शिवदानराम 3. शिवदानराम पुत्र नारायणराम 4. कमला पुत्री घेवरराम 5. कैलाश पुत्र भीकाराम जाति पटेल निवासी पटेलनगर तहसील बिलाड़ा जिला पाली।		1. बक्साराम पुत्र नारायण 2. झमकुदेवी पत्नी नारायण जाति जाट निवासी अमरदा वाला बेरा ग्राम आ.कालू तहसील जैतारण जिला पाली। 3. तहसीलदार साहब जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 22/01/2021

उपस्थितः– 1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 26/05/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि कस्बा आ.कालू पटवार हल्का आ.कालू प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ.कालू तहसील जैतारण की सीमा में खसरा संख्या 1432 रकबा 102 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी स्थित है। नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक साथ पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ मिट्टी की खन्दक लगी हुई थी। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि की जो खन्दक (मिट्टी का पाला) को अप्रार्थीगण ने बलपूर्वक तोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण की मिट्टी की खन्दक को तोड़कर उसको नष्ट कर मौके पर प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया है। यह तथ्य प्रार्थीगण को दिनांक 10.01.2021 को मौके पर गये तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर पड़ौसी खेत वालो (अप्रार्थीगण) ने मिट्टी की खन्दक तोड़कर सीमा का विवाद कर अतिक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया एवं सीमकंन का विवाद खड़ा कर दिया है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि के पडौसी अप्रार्थीगण जिनकी कृषि भूमि खसरा संख्या 1496 रकबा 37–04 बीघा है जिन्होने मौका पाकर प्रार्थीगण के खेत के चारो तरफ स्थित मिट्टी के पाले को नष्ट कर अतिक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया है प्रार्थीगण को दिनांक 10.01.2021 को जानकारी होने पर मौके पर गये एवं अप्रार्थीगण को समझाया कि आपकी और हमारी जमीन का नापचौप व सीमाज्ञान करवा देते है तो अप्रार्थीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया एवं अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम तो तुम्हारी जमीन में अतिक्रमण कर तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है इसलिए उक्त सभी अप्रार्थीगण आये दिन सीमा का विवाद खड़ा कर देते है। इसलिए उक्त प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

1432 रकबा 102-13 बीघा व पडौसी खेत वाले अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1496 रकबा 37-04 बीघा का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर मुड्डागढी करवायी जाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। दिनांक 18.02.2020 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार साहब जैतारण के समक्ष उक्त दोनो खसरा संख्या की कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने हेतू अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर आज तक कोई कार्यवाही नही होने के कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी कृषि भूमि जो करबा आ.कालू की सीमा में स्थित है अतः श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है व निर्धारित कोर्ट फीस के पेश है। अप्रार्थीगण सीमा विवाद में यदि किसी तरह की कोई व्यवधान व पैचीदगिया अथवा झगड़ा टंटा करे एवं सीमांकन तथा पत्थरगढी करने में बाधा उत्पन्न करे तो जरिए पुलिस इमदाद के उक्त सीमांकन व पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 तथा 2 के द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर 1432 के तथ्यो को प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। साथ ही उक्त भूमि एस.बी.आई शाखा आ.कालू में रहन रखी हुई है। जिसे वाद पक्षकार नही बनाये जाने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस कानूनी बिनाय पर भी पोषणीय नही होने से काबिज खारिज के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दागण ने प्रार्थीगण की भूमि की न तो खन्दक तोड़ी न ही कोई विवाद किया। दिनांक 10.01.2021 का उल्लेख प्रार्थीगण ने कार्यवाही करने की गरज से झूठा किया है लगाये गये आरोप कतई गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दागण ने प्रार्थीगण की भूमि की न तो खन्दक तोड़ी न ही कोई विवाद किया । दिनांक 10.01.2021 का उल्लेख प्रार्थीगण ने कार्यवाही करने की गरज से झूठा किया है। बल्कि इस कार्यवाही में वर्णित खसरा नम्बर की भूमियो की खाई, खन्दक व माठे सेट्लमेंट के समय से मौके पर कायम है जिन्हे अप्रार्थीगण द्वारा न तो हटाया गया है न ही उसकी मौका स्थिति में कोई रद्दो बदल किया गया भूमि के नाप व माठो को लेकर विवाद होने के कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। इस कार्यवाही में वर्णित भूमि के मौके पर इस भूमि के नाप चौप, बंटवाड़ा व सीमाज्ञान को लेकर कोई विवाद नही रहा है। न ही प्रार्थीगण ने तहसीलदार जी के समक्ष कोई आवेदन किया है। दिनांक 10.01.2021 व उससे पूर्व दिनांक 18.02.2020 को या अन्य किसी दिन भमि के नाप चौप व सीमाज्ञान को लेकर अप्रार्थीगण ने कोई विवाद किया था उसके बांवजूद भी प्रार्थीगण ने जवाब देहन्दागण पर नाप चौप को लेकर विवाद करने के आरोप झूठे लगाये है जो अस्वीकार है। पक्षकार सेटलमेंट के पूर्व से ही कायम की खन्दक व माठो की स्थिति अनुसार मौके पर अपनी अपनी भूमि पर काबिज है। इस प्रकार से प्रार्थीगण ने विवाद होने के झूठे आरोप लगाये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:22 IST
Reason: SelfAttested

पदेन सहायक कलक्टर,
जिला-पाली

उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। साथ इस पद में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1432 रकबा 102-13 बीघा किस्म बारानी दोयम स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पडौस में अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1496 रकबा 37-04 बीघा आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमि की खन्दक को अप्रार्थीगण बलपूर्वक तोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण करने के लिए आमादा है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर सीमा का विवाद उत्पन्न कर दिया है तथा मौके पर सीमांकन करवाने के लिए भी राजी नही है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1432 एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयात् खसरा संख्या 1496 के मध्य मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर नाप चौप किया जाकर पत्थरगढी करवायी जाये, तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने के कारण आदेश की पालना जरिए पुलिस इमदाद करवायी जाये।

2. अप्रार्थी संख्या 1 से 2 जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा पद संख्या 2 में अंकित कथन झूठे होने से अस्वीकार है तथा जवाब देहन्दागण द्वारा न तो खन्दक तोड़ी गई है न किसी प्रकार का विवाद किया गया है। खाई, खन्दक एवं माठे सेटलमेंट के समय से मौके पर कायम है जिन्हे अप्रार्थीगण द्वारा नही हटाया गया है। अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई विवाद नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

3. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी संवत् 2074 ग्राम आनन्दपुर कालू के अनुसार खसरा संख्या 1432 रकबा 102-13 बीघा किस्म बारानी दोयम प्रार्थीगण के नाम खातेदारी तथा खसरा संख्या 1496 रकबा 37-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है।

5. चूंकि उपर्युक्त खसरान् की आराजी भू नक्शा में तरमीमशुदा है तथा जमाबंदी में सभी खसरान् का कुल रकबा अंकित है। खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादो का समाधान मोके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है जिससे खातेदारो के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1432 एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1496 की आराजी का मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाज्ञान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

करवाया जाकर प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम– आनन्दपुरक कालू प्रथम तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1432 रकबा 102–13 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1496 रकबा 37–04 बीघा किस्म बारानी दोयम के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शे मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। उक्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से मानसून आगमन से पूर्व अर्थात 30 जून 2022 से पूर्व संपादित करवा दी जावे। यदि मौके पर खातेदारान् के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जाये। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:22 IST
Reason: SelfAttested